

31-5-19

सीट

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं
 वादी वकिल अनुपस्थित हैं। पत्रावली में
 वादी एवं वादी अधिवक्ता को तीन बार
 आवाज लगावाई गई, फिर भी उपस्थित नहीं
 हुए। पत्रावली में आदेश 9 नियम 3 के तहत
 अदालत आज की क्रम पत्रावली में वादी खारीज किया
 जात है निम्न स्थले न्यायालय में स्तुताया गया।
 पत्रावली कैसल शुमार है दर्ज नम्बर से कम होकर
 दाखिल दस्ता है।

अधिवक्ता
 खरवाला वि. अ.पुर